न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत विजयसिंहपुरा)

मु.न. 198/2016

उनवान

1. सूजा पुत्र श्री मुरलीधर, जाति मीणा, निवासी ग्राम झीडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

बनाम

1. छाजूराम पुत्र आन्या
2. उमराव पुत्र आन्या
3. हरिनारायण पुत्र आन्या
   समस्त जातियान मीणा, निवासी ग्राम झीडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. सुल्तान पुत्र मुरलीधर
6. लादू पुत्र मुरलीधर
7. कानाराम पुत्र मुरलीधर
8. मालीराम पुत्र मुरलीधर
9. मन्नाराम पुत्र गोपाल
10. नन्दकिशोर पुत्र गोपाल
11. जामिलसिंह पुत्र गोपाल
12. बिदामीदेवी पत्नि गोपाल
13. नर्बदा पुत्री गोपाल
14. श्रवणी पुत्री गोपाल
15. गोरी पुत्री गोपाल
16. कमला पुत्री गोपाल
17. छोटी पुत्री गोपाल
18. मालीदेवी पत्नी रामू
19. मोहन पुत्र रामू
20. गणपत पुत्र रामू
21. सांवरमल पुत्र रामू
22. कृष्ण कुमार पुत्र रामू

    समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम झीडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 11.05.2018

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत विजयसिंहपुरा मे पेश हुई। वादी ने अपने वाद में निवेदन किया है कि वाके ग्राम झीडा, पटवार हल्का विजयसिंहपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर हाल खाता संख्या 172 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 663 रकबा 0.24 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो इस वाद पत्र में विवादित भूमि हैं। जिसे वाद पत्र के अग्रिम मदों में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

उप खण्ड अधिकारी
चौमूं जिला–जयपुर

Scanned by CamScanner

विवादित भूमि खसरा नम्बर 663 रकबा 0.24 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा 3/4 भाग का हिस्सा 1/5 भाग अर्थात 3/20 भाग सम्पूर्ण की खातेदारी वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, शेष हिस्सा सहखातेदारान के नाम से हैं। वादी अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा हैं तथा सरकारी लगान अदा करता आ रहा हैं।

विवादित भूमि के लगवा सींवजोड प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की भूमि खसरा नम्बर 662 रकबा 0.14 हैक्टेयर भूमि स्थित है अर्थात प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 वादी के पडौसी खातेदार काश्तकार है जो भूमि वादी की भूमि खसरा नम्बर 663 के दक्षिणी ओर स्थित हैं।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 दिनांक 25.12.2016 को वादी की भूमि की दक्षिणी सीमा पर आये ओर वादी की भूमि की दक्षिणी सीमा पर गाडे हुये सींव के पत्थरों को उखाडने लगे एवं स्वयं की भूमि में शामिल करने का प्रयास करने लगें तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा तथा इनके साथ आये भू–माफिया गिरोह के सदस्य व इनके साथ आये 5–7 व्यक्तियों ने वादी को धमकी दी कि इस भूमि पर हम अतिक्रमण करके रहेंगे तथा इस भूमि को भी अपनी भूमि में शामिल कर इस पर जबरिया आवासीय भूखण्ड विकसित कर बेचान कर देंगे, तथा वादी को उसकी भूमि से किसी भी तरह से बेदखल करके रहेंगे, प्रतिवादीगण वादी की भूमि में खडे हरे छायादार वृक्षों को काटने पर आमादा हो गये तथा वादी द्वारा उक्त लोगों को उनके द्वारा किये जा रहे कृत्य से मना करने पर उक्त लोगों ने वादी की भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमी दी गई जिससे वादी को वाद पत्र पेश करना लाजमी आया हैं।

वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जावें कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 663 व प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 662 के मध्य की भूमि अर्थात वादी की भूमि की दक्षिणी सीमा के वादी के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करे, ना ही वादी की भूमि की दक्षिणी सीमा पर गाडे गये सींव के पत्थरों को नहीं उखाडे, ना ही तारबन्दी को तोडे, ना ही स्वयं की भूमि में शामिल करने की कुचेष्ठा करें, ना ही निर्माण कार्य करे, ना ही ऐसी कोई कार्यवाही करें, ना ही किसी अन्य को कब्जा करवायें तथा प्रतिवादी संख्या 4 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का सहयोग करें। उक्त समस्त कृत्य प्रतिवादीगण ना तो स्वयं करें ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन से ही करवायें।

वादी के वाद पत्र पेश करने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। उभयपक्षकारान उपस्थित। वादी को सुना गया। वादी आराजी का खातेदार काश्तकार है। पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकलन किया गया। नकल जमाबन्दी के अनुसार वादी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभेग के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार प्राप्त है। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 663 रकबा 0.24 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.24 हैक्टेयर, वाके ग्राम झीडा, पटवार हल्का विजयसिंहपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 663 व

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला–जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 662 के मध्य की भूमि अर्थात वादी की भूमि की दक्षिणी सीमा के वादी के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करे, ना ही वादी की भूमि की दक्षिणी सीमा पर गाडे गये सींव के पत्थरों को नहीं उखाडे, ना ही तारबन्दी को तोडे, ना ही स्वयं की भूमि में शामिल करने की कुचेष्ठा करें, ना ही निर्माण कार्य करे, ना ही ऐसी कोई कार्यवाही करें, ना ही किसी अन्य को कब्जा करवायें तथा प्रतिवादी संख्या 4 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का सहयोग करें अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 विवादग्रस्त सम्पत्ति की यथावत स्थिति बनाये रखें उपरोक्त समस्त कृत्य प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ना तो स्वयं करें ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन के जरिये करवायें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2018 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट विजयसिंहपुरा में सुनाया गया।

(प्रियव्रत सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
चौमू (जयपुर)

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम विजयसिंहपुरा)

पीठासीन अधिकारी :– प्रियव्रत सिंह चारण (R.A.S)

मुकदमा नम्बर :– 198/2016

उनवान

1. सूजा पुत्र श्री मुरलीधर, जाति मीणा, निवासी ग्राम झीडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

बनाम

1. छाजूराम पुत्र आन्या
2. उमराव पुत्र आन्या
3. हरिनारायण पुत्र आन्या
   समस्त जातियान मीणा, निवासी ग्राम झीडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. सुल्तान पुत्र मुरलीधर
6. लादू पुत्र मुरलीधर
7. कानाराम पुत्र मुरलीधर
8. मालीराम पुत्र मुरलीधर
9. मन्नाराम पुत्र गोपाल
10. नन्दकिशोर पुत्र गोपाल
11. जामिलसिंह पुत्र गोपाल
12. बिदामीदेवी पत्नि गोपाल
13. नर्बदा पुत्री गोपाल
14. श्रवणी पुत्री गोपाल
15. गोरी पुत्री गोपाल
16. कमला पुत्री गोपाल
17. छोटी पुत्री गोपाल
18. मालीदेवी पत्नी रामू
19. मोहन पुत्र रामू
20. गणपत पुत्र रामू
21. सांवरमल पुत्र रामू
22. कृष्ण कुमार पुत्र रामू
    समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम झीडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

<u>वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा</u>

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है की वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 663 रकबा 0.24 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.24 हैक्टेयर, वाके ग्राम झीडा, पटवार हल्का विजयसिंहपुरा, तहसील

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

चौमूं, जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 663 व प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 662 के मध्य की भूमि अर्थात वादी की भूमि की दक्षिणी सीमा के वादी के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करे, ना ही वादी की भूमि की दक्षिणी सीमा पर गाडे गये सींव के पत्थरों को नहीं उखाडे, ना ही तारबन्दी को तोडे, ना ही स्वयं की भूमि में शामिल करने की कुचेष्ठा करें, ना ही निर्माण कार्य करे, ना ही ऐसी कोई कार्यवाही करें, ना ही किसी अन्य को कब्जा करवायें तथा प्रतिवादी संख्या 4 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का सहयोग करें अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 विवादग्रस्त सम्पत्ति की यथावत स्थिति बनाये रखें उपरोक्त समस्त कृत्य प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ना तो स्वयं करें ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन के जरिये करवायें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत विजयसिंहपुरा मे आज तारीख 11.05.2018 को जारी किया गया।

मोहर

(प्रियव्रत सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला–जयपुर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	0	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	0	

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला–जयपुर

Scanned by CamScanner